राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2140/2023 सोनल प्रताप सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. जिला कलेक्टर, जयपुर। 3. जिला कलेक्टर, जयपुर ग्रामीण।	21.08.2023	श्री उम्मेद सिंह तंवर अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल राजकीय अधिवक्ता
2.	2141/2023 उदय सिंह			

आदेश की दिनांक : 30.10.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2140/2023 सोनल प्रताप सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2023 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को यथावत पटवारी के पद पर पटवार मण्डल रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण में पदस्थापित रखा जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत था, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी, उप तहसीलदार मुण्डोता व भू–अभिलेख निरीक्षक, हरमाडा को संबोधित कर गाली गलौच व अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए निलंबित करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय कोटपूतली में किया गया, अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्वक हैरान व परेशान करने के लिए झूठा आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया है। अपीलार्थी ने

तहसीलदार के नामांतरण भरने के आदेश पर मौके की रिकार्ड की यथास्थिति प्रस्तुत की थी, जिससे प्रत्यर्थीगण नाराज होकर अपीलार्थी पर मनगढंत आरोप लगाते हुए अपीलार्थी को निलंबित करते हुए मुख्यालय परिवर्तन किया गया है तथा बाद में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.05.2023 को अभद्र भाषा व गाली गलौच का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र जारी किया गया है। अपीलार्थी पर ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है, जिससे अपीलार्थी जयपुर ग्रामीण में रहते हुए किसी रिकार्ड को प्रभावित कर सके तथा रिकार्ड में हेराफेरी कर सके। आलोच्य आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत है तथा अपीलार्थी को निलंबित किए हुए 6 माह से भी अधिक समय हो चुका है। अगर अपीलार्थी के विरूद्ध जो आरोप पत्र जारी किया गया है, उसमें अपीलार्थी के निलंबन से बहाल करने पर किसी भी प्रकार से जांच प्रभावित नहीं होगी तथा प्रत्यर्थीगण ने निलंबन करने के पश्चात् आज तक ऐसा कोई कारण नहीं बताया है, जिससे अपीलार्थी को लगातार निलंबित रखा जा सके।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी विभाग को उक्त अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् उक्त अपील की नकल उपलब्ध कराई गई, परंतु आज तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या 1912/2015 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का निर्णय प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में यह अंकित किया है कि किसी कार्मिक को 3 माह से अधिक निलंबित नहीं किया जा सकता है, अगर उक्त अवधि में आरोप पत्र भी जारी कर दिया गया है तो भी 3 माह के पश्चात् निलंबन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए कारण सहित आदेश पारित करना आवश्यक है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया है कि अपीलार्थी के निलंबन अवधि को 3 माह पश्चात् किन कारणों से आगे जारी रखा जावे तथा न ही अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी को लगातार निलंबित रखने के कोई कारण बताए है तथा अपीलार्थी को आवश्यक रूप से निलंबित करते हुए जिला कोटपूतली में दूसरे जिले में उपस्थिति देने हेतु जाना पड़ता है जबकि अपीलार्थी का पदस्थापन जयपुर ग्रामीण में है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 02.03.2023 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को यथावत पटवारी के पद पर पटवार मण्डल रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण में पदस्थापित रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को गाली गलौच व अभ्रद भाषा का प्रयोग करने के कारण निलंबित करते हुए मुख्यालय परिवर्तन किया गया है, जो नियमानुसार जारी आदेश है। अपीलार्थी के विरूद्ध जांच विचाराधीन है। अपीलार्थी का यह अधिकार नहीं है कि वह एक ही जगह पर पदस्थापित रहे तथा राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी कार्मिक को निलंबित करते हुए मुख्यालय परिवर्तन कर सकती है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण वर्तमान में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत थे तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आदेश दिनांक 02.03.2023 के द्वारा अपीलार्थीगण को अभ्रद भाषा का आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया था। तत्पश्चात् आरोप पत्र जारी किया गया है और जांच अभी विचाराधीन है। अपीलार्थीगण को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अधिकारियों के प्रति अभद्र व्यवहार करना तथा कार्यालय का अनुशासन भंग करने के आधार पर मुख्यालय परिवर्तन करते हुए निलंबित किया गया है, जिसकी जांच अभी विचाराधीन है। किसी भी कार्मिक को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा अधिकारियों के प्रति अभद्र व्यवहार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थीगण के विरूद्ध सक्षम स्तर से जारी किया गया निलंबन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील में कोई बल प्रतीत न होने के कारण उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलें खारिज फरमाए जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2140/2023 सोनल प्रताप सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2141/2023 उदय सिंह में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य